न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/102/2019
सुखवीर सिंह पुत्र सौदान सिंह निवासी ग्राम पो0 उसरानी तहसील कुम्हेर हाल निवासी गांधी नगर कॉलोनी, न्यू टंकी के पास, सेवर रोड भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, कुम्हेर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 16.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री सुखवीर सिंह पुत्र सौदान सिंह निवासी ग्राम पो0 उसरानी तहसील कुम्हेर हाल निवासी गांधी नगर कॉलोनी, न्यू टंकी के पास, सेवर रोड भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 12.06.2019 के द्वारा तहसीलदार, कुम्हेर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, कुम्हेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /812 दिनांक 20.09.19 से तहसीलदार, कुम्हेर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, कुम्हेर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, कुम्हेर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, कुम्हेर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, कुम्हेर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार, कुम्हेर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। तहसीलदार, कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तद्उपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, कुम्हेर को प्रेषित की जावे एवं अपीलांट को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर